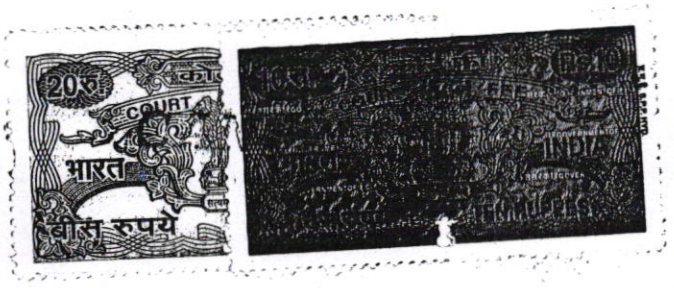

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0631

1. छविलाल तनय श्री गोकुल प्रसाद ब्राहम्ण
निवासी ग्राम देरी तह0 व जिला छतरपुर
.......आवेदक

//विरूद्ध//

1. रामसेवक तनय मिहीलाल अहिरवार
2. रामबाई पत्नी रामसेवक अहिरवार
निवासी ग्राम देरी तह0 व जिला छतरपुर
.......अनावेदकगण

B.O.R.
2 NOV 2018

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमाँक 247/अ-19 वर्ष 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 11-09-17 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि ख.नं. 1302 रकवा 5.31 एकड़ स्थित ग्राम देरी कृषि भूमि आवेदक के नाम दर्ज थी आवेदक वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बगैर सूचना दिए उक्त भूमि का बंटन आधिकारिता रहित रूप से किए जाने पर आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करते हुए यह माना था कि विवादित भूमि खसरा नंबर 1302 आवंटन की सूची में नहीं है न ही काबिल काश्त भूमि है वन विभाग से कोई भी प्रतिवेदन न लेते हुए विचारण न्यायालय तत्कालीन तहसीलदार द्वारा जाल साजी कर शासकीय नंबर का आवंटन कर दिया है जिसे निरस्त करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है उपरोक्त आदेश दिनांक 23-11-04 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 31-05-2002 को किया गया बंटन स्थिर रखे जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

260
30-12-2017

2. यह कि आलोच्य अपीलीय आदेश दि0 11-09-2017 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0631 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.02.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में हरिजन वर्ग के वर्ग–1 एवं वर्ग–2 के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का बंटन किए जाने की कार्यवाही करते हुए तहसीलदार छतरपुर द्वारा अनावेदकों को भूमि का बंटन किया गया था, जिसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में इस आधार पर कि इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण में इश्तिहार का प्रकाशन किया गया जिसकी प्रति पेज–3 पर संलग्न है। उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदक अतिक्रामक है। उक्त कारणों से अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। आवेदक की इस प्रकरण में क्या locus-standy है, आवेदक अधिवक्ता नहीं बता सके। उनका यह कहना था कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा है और वह अनावेदक को दिए गए पट्टे को निरस्त कराकर भूमि को शासकीय कराना चाहता है ताकि शासकीय होने के उपरांत वह भूमि को अपने नाम आबंटित करा सके। आवेदक का उक्त तर्क किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। कब्जे के आधार पर अनावेदकों को विधिवत जारी किए गए पट्टे को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थित में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	